न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम.नं. 2024/63
मुकदमा नम्बर 15/2024 दायर दिनांक–30.01.2024

1. झाबरमल पुत्र गोमा जाति माली निवासी मोबजी की ढाणी तन झाझड,तहसील नवलगढ जिला झुझुनूं

.....आवेदकगण

बनाम

1. केशर पुत्र रामनाथ
2. ग्यानी पत्नी रामनाथ
3. ताराचन्द पुत्र रामनाथ
4. सुरेश पुत्र रामनाथ
5. चोखाराम पुत्र हरदेवाराम समस्त जाति माली निवासी मोबजी की ढाणी तन झाझड,तहसील नवलगढ जिला झुझुनूं
6. भूमिधारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ

.....अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अं. धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वकील आवेदक–श्री अमरसिंह शेखावत
वकील अनावेदकगण 1 लगा. 5 – श्री दयाराम सैनी
अनावेदक सं. 6– पैरो. राज.

:–निर्णय–:

दिनांकः–22-11-2024

यह प्रा0 पत्र आवेदक द्वारा अन्तर्गत धारा 251 (क) काश्तकारी अधिनियम 1955 को इस कदर पेश किया गया कि, राजस्व ग्राम झाझड कि सरहद में आवेदक कि कृषि जोत खसरा नं. 298 रकबा 2.23 है0 जिसमे आने जाने के लिये ख.नं. 298 के उत्तर दिशा में अनावेदकगण कि भूमि ख.नं. 309 रकबा 0.83 है0 तथा भूमि ख.नं. 310 रकबा 1.10 है0 के पश्चिमी दिशा में सीमा के सहारे–सहारे उत्तर दिशा की ओर ग्रेवल सडक तक 12 फीट चौडा रास्ता दिया जावे। वर्तमान में आवेदक के पास अपनी कृषि जोत तक पहूँचने के लिये अन्य कोई रास्ता नही है। आवेदक को रास्ते की अत्यन्त आवश्यक्ता है। उक्त रास्ते को ==== पगडण्डी को वर्षो से उपयोग मे लेता आ रहा है, इसे 12 फीट चौडाई की कर ग्रेवल सडक तक रास्ता कायम किया जावे।

प्रा.पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण की जारी की गई। अनावेदक सं. 1 की और से जरिये वकील जवाब प्रा. पत्र निम्नानुसार पेश किया गयाः–

आवेदक ने अपनी जोत खसरा नं. 298 में आने जाने हेतु जवाब देहन्दागण के खेत खसरा नं. 309,310 के पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे रास्ता लेने का उक्त प्रा. पत्र झुठे तथ्य दर्ज कर पेश किया है। आवेदक ने एक प्रा. पत्र पूर्व में भी अ.धा. 251 (क) राज.का. अधि. का उनवानी झाबर बनाम रामेश्वर वगै0

111

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनूं)

Scanned with CamScanner

मु.नं. 5/2012 न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश किया था। उक्त प्रा. पत्र के विचारण के द्वौरान तहसीलदार नहो. नवलगढ ने दिनांक 03.07.2015 को अपनी मौका फर्द में भूमि खसरा नं. 298 में आने जाने के लिये खसरा नं. 296,297 की पश्चिमी सीमा व खसरा नं. 294,295 की पूर्वी सीमा पर 3'6" की पगड्ण्डी होना बताया है, उक्त प्रकरण नं. 4/12 निर्णत भी इस आशय से स्वीकार किया जा चूका है कि खसरा नं. 304 व खसरा नं. 2037/301 में से 173 मीटर लम्बा व 12 फीट चौडा रास्ता आवेदक को दिया जावें।उक्त न्यायालय श्रीमान् के प्रकरण नं. 5/12 आदेश दिनांक 03.07.2015 के विरूद्व अनावेदक रामचन्द ने एक अपील उनवानी रामचन्द्र बनाम झाबरमल वगै. अपील नं. 89/15 न्यायालय श्रीमान् राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प झुझुंनू क समक्ष की, जिसमे न्यायालय श्रीमान् राजस्व अपील अधिकारी महो0, ने दिनांक 08.05.2023 को इस आशय का निर्णय पारित किया कि विचारण न्यायालय अपीलान्ट की उपस्थिति में पुनः मौक रिपोर्ट प्राप्त कर मृत व्यक्ति के विधिक वारिसान को सुनकर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे , अर्थात राजस्व अपील अधिकारी महोदय सीकर ने उकत प्रकरण की पत्रावली का निर्णय कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ के यहॉ रिमाण्ड कर दिया, जिसको आवेदक झाबर ने न्यायालय में उपस्थित होकर आज दिनिांक तक दर्ज नही करनवाया है। आवेदकने उक्त रास्ता खसरा नं. 304,2037/301 में से न्यायालय द्वारा दिया जाने के बाद पुनः दुबारा अपनी भूमि के लिये दुसरी तरु से जवाब देहन्दा की भूमि में से रास्ते की मांग की है, जो कानूनन आवेदक अ.धा. 251 (क) रा.का.अधि. के तहत प्राप्त नही कर सकता है। इसलिये प्रा. पत्र खारिज होने योग्य है। आवेदक ने पुनः प्रा. पत्र प्रस्तुत कर 309,310 में से रास्ता अंकित कर मौका रिपोर्ट पत्रावली में प्रस्तुत करवाई है।जो जवाबदेहन्दागण की अनुपस्थिति में मौके के विपरीत बनाई गई है। बिना मौके पर माप लिये ही नजदीक रास्ता दर्शाया है। जबकि आवेदक के खसरा नं. 298 के नजदीकी रास्ता 296 के पश्चिमी सीमा पर कटाणा का रास्ता है तथा मौकेपर चालू है तथा उसके आगे ख.नं. 2193/297 की पश्चिमी सीमा पर नजदीकी है। इसलिये प्रा. पत्र खारिज योग्य है।

प्रकरण में तहसीलदार नवलगढ के पत्रांक कमांक राजस्व/2024/83 दिनांक 20/2/2024 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त जो निम्न है:–

ख.नं. 310 व 296 कि उत्तरी सीमा पर समान्तर पूर्व से पश्चिम तक एक ग्रेवल बनी हुई है इस रास्ते से ए बिन्दू से बी बिन्दू तक दूरी 120 मीटर है।

दक्षिणी दिशा मे दिखाये गये रास्ते से परिवादी के खेत की दूरी लगभग 160,170,180 मीटर बनती है। ख.नं. 296 व 297 की पूर्वी सीमा की दूरी 114 मीटर बनती है, ख.नं. 297 के भूभाग पर पूर्वी तरफ पक्का निर्माण है।

आवेदक की जोत तक पहुॅचने के लिये ख.नं. 309,310 की पश्चिमी सीमा जो नजरी नक्शे में ए से बी बिन्दू तक प्रस्तावित की गई है लम्बाई 120 मीटर X चौडाई 4 मीटर = 480 वर्गमीटर है।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई। वकील आवेदक ने अपने प्रा. पत्र में अंकित तथ्यों तथा तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को अवलोकन करते हुये प्रा. पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील अनावेदक द्वारा विरोध करते हुये प्रा. पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान वकुलान फरीकेन द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट कमांक राजस्व/2024/83 दिनांक 20/2/2024 का भली भांती अवलोकन किया गया। तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट के अनुसार ख.नं. 310 व 296 कि उत्तरी सीमा पर समान्तर पूर्व से पश्चिम तक एक ग्रेवल बनी हुई है इस रास्ते से ए बिन्दू से बी बिन्दू तक दूरी 120 मीटर है। दक्षिणी दिशा मे दिखाये गये रास्ते से परिवादी के खेत की दूरी लगभग 160,170,180

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ (झुन्झुनू)

Scanned with CamScanner

मीटर बनती है। ख.नं. 296 व 297 की पूर्वी सीमा की दूरी 114 मीटर बनती है, ख.नं. 297 के भू भाग पर पूर्वी तरफ पक्का निर्माण है। इस प्रकार से तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर आवेदक को अपनी कृषि जोत तक पहुँचने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक नियरेस्ट व सोरटेस्ट रास्ता नही है। अन्य विकल्प मे या तो दूरी अधिक है अथवा पूर्व से पक्का निर्माण है। आवेदक को अपनी कृषि जोत तक पहुँचने के लिये रास्ते की परम आवश्यक्ता है।

लिहाजा तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट कमांक राजस्व/2024/83 दिनांक 20/2/2024 से इत्तिफाक रखते हुये यह न्यायालय आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार करता है तथा मुताबिक तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट तथा फर्द, नजरी नक्शे अनुसार राजस्व ग्राम झाझड कि सरहद में आवेदक कि कृषि जोत खसरा नं. 298 रकबा 2.23 है0 जिसमे आने जाने के लिये ख.नं. 298 के उत्तर दिशा में अनावेदकगण कि भूमि ख.नं. 309 रकबा 0.83 है0 तथा भूमि ख.नं. 310 रकबा 1.10 है0 के पश्चिमी दिशा में सीमा के सहारे–सहारे उत्तर दिशा की ओर ग्रेवल सडक तक नजरी नक्शे के मुताबिक ए से बी बिन्दू तक लम्बाई 120 मीटर X चौडाई 4 मीटर = 480 वर्गमीटर रास्ता गै.मु. सिवायचक कायम कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। **सुलभ संदर्भ हेतु तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट कमांक राजस्व/2024/83 दिनांक 20/2/2024 तथा फर्द नजरी नक्शा उक्त आदेश का भाग होगा।**

तहसीलदार नवलगढ, को आदेशित किया जाता है कि, मुताबिक आदेश रास्ते से प्रभावित भूमि की डीएलसी की दो गुणा राशि जमा होने पर रास्ते से प्रभावित भूमि को राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 सिवायचक रास्ता दर्ज कर देवे। डीएलसी दर की दोगुनी राशि प्रभावित खातेदारान/अनावेदकगण को दिलाई जावे। अनावेदकगण द्वारा राशि प्राप्त न करने पर राजकोष में अमानत मद में जमा करवाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 22-11-2024 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ ,जिला–झुझुंनू

Scanned with CamScanner